झारखंड उच्च न्यायालय, राँची

डबल्यू.पी. (सी) संख्या 3811/2016

मेसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड, मुंबई,द्वारा श्री राजेश कुमार दास, उप महाप्रबंधक (कानूनी सेवा) और मेसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड, जमशेदपुर के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

..... याचिकाकर्ता

बनाम

- 1. मेसर्स ए एस एल मोटर्स प्रा लिमिटेड, जमशेदपुर, अपने प्रबंधक के माध्यम से प्रतिनिधित्व
- 2. श्री बंकट गरोडिया, प्रभारी, वेंकटेश उद्योग, रांची... उत्तरदाता

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश शंकर

याचिकाकर्ता के लिए: श्री वी. पी. सिंह, विरष्ठ अधिवक्ता उत्तरदाताओं के लिए: सुश्री रिश्म कुमार, अधिवक्ता

05/04. 01. 2021 वर्तमान मामले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लिया गया है।

कुछ तर्क के बाद, श्री वी पी सिंह, याचिकाकर्ता के लिए विद्वान विष्ठ अधिवक्ता, कानून के तहत उपलब्ध आदेशों के अंतर्गत उचित सहारा लेने के लिए स्वतंत्रता के साथ वर्तमान रिट याचिका को वापस लेने की अनुमित चाहता है।

अनुमति दी जाती है।

रिट याचिका को पूर्वोक्त के साथ वापस ले लिया गया है

(राजेश शंकर, जे.)

रितेश